

15-12-20

अभिभावक एवं नें कार्य स्थिति
का है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
~~16-12-20~~ को पेश है।

BEFORE THE
KAMAM, DISTRICT

IN THE MATTER OF:
जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

12-04-2020 पत्रावली

16/12/20

वकील उद्यमपत्र उपस्थित। वकील अर्थात् बैंक ने
C.S.B बैंक काफ़ां द्वारा दिनांक 15-12-20 को अर्थात्
के हक में जारी नो-इंजुन फॉर्म No. 2 के साथ
पेश किया है। वकील द्वारा बैंक शाखी
बैंक में जमा कराने वाकत बैंक में जमा
वकील से सूचित किया गया पत्रावली वाकत
गौर दिनांक 22-12-20 को पेश है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

22/12/20

वकील उद्यमपत्र उपस्थित। बैंक के वकील ने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा सीक्योरिटी इजेशन
को Not Press करत हुए निवेदन किया है
प्रार्थी/वाकील द्वारा बैंक शाखी बैंक में जमा
कराई जा चुकी है। इस वाकत C.S.B बैंक
काफ़ां द्वारा प्रार्थी के हक में दिनांक 15-12-20
को नो-इंजुन प्रमाण पत्र थी जारी किया जा
उत्ती है। प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना
चाहते।

इसके प्रार्थी/वाकील द्वारा समस्त
बैंक शाखी जमा कराने पर सम्बन्धित बैंक द्वारा
कोर्ट वकाया शाखी न होने के कारण प्रार्थी को
नो-इंजुन प्रमाण पत्र थी जारी किया गया है।
स्पष्ट है कि वकील द्वारा समस्त बैंक शाखी
बैंक में जमा करा दी है। अब उक्त प्रार्थना पत्र /
प्रकरण को आगे चलाने की कोई औचित्य नहीं
है। इस कारण बैंक के वकील द्वारा प्रकरण को Not Press
किये जाने पर उती अवकाश पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होनी वकत वकील वाकत है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

NOT Press
22/12/20
Advocate

